

उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।


(जिला पंचायत राज शाखा)

-:: आम सूचना ::-

उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक-96/जि0प0, दिनांक-14.03.2021 के द्वारा 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का संविदा आधारित पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता एवं अनुभव की जाँच कर अभ्यर्थियों की औपबंधिक मान्य सूची एवं अमान्य सूची तैयार की गई है, जिसे जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.in पर ऑपलोड किया गया है।

सभी संबंधित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता इत्यादि में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अन्य आपत्ति हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक-06.04.2021 से 10.04.2021 के अपराह्न 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को लिखित आपत्ति दिया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


उपायुक्त, जामताड़ा के आदेशानुसार।


जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक.....167...../जि0प0 दिनांक.....03.04.2021

प्रतिलिपि:- जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों के एक दिवसीय अंक में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के औपबंधिक मान्य एवं अमान्य सूची को वेबसाईट में ऑपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जामताड़ा।